

परचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० -91/2025

1. सीमादेवी पत्नी कालुराम
 2. अनिता पत्नी सतवीर
 3. सुनिता पत्नी रणवीर
- जाति जाट निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

वादीयागण

बनाम्

1. कालूराम पुत्र धोंकलराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कैलाश पुत्री कालूराम पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी फतूही 500 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गायत्री पुत्री कालूराम पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी फतूही 500 एल. एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सतवीर } पि० कालूराम जाति जाट निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी
5. रणवीर } जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील सुभाष गर्ग अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि क वादीया सं० 1 सीमादेवी को प्राप्त आराजी:- चकनं० 5 एम.जैड डबल्यू के प०न० 197/366 मु० 32 किलानं० 1,2,3,4, 5/1/228, 5/2/025 गै०मु खाला, 6/1/ 228, 6/2/025 हैव मै०मु० खाला, 7,8 में से 1.012 है० ख. वादीया सं० 2 अनिता को प्राप्त आराजी:-चकनं० 5 एम.जैड डबल्यू के प०न० 194 /364 मु० 15 किलानं० 2,3,4,7,8,9,12, 13, 14, 17, 18, 19 कुल 3. 036 है० ग. वादीया सं० 3 सुनिता को प्राप्त आराजी:-चकनं० 5 एम.जैड डबल्यू के प०न० 195/363 मु० 7 किलानं० 3,4,7,8, 13, 14, 15/1/190, 16/1/202, 17, 18, इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं० 5 एम. जैड डबल्यू के खाता सं० 20/16 मे से प्रतिवादी सं० 1 कालुराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह परचा डिक्री आज दिनांक 15.11.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)